न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –416 / 2023

अनवान : –

1. छोटुराम बिजारणियां पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील तहसील नोहर।
2. श्रवण कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. अनिल कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. चरण सिंह पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ओम प्रकाश पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. विमला देवी पत्नी ओम प्रकाश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. शिशपाल पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. गुडी देवी पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः 04/01/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 1 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 24 / 22 के कुल खसरे 28 की कुल तादादी 6.3250 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 165 / 148 के कुल खसरे 6 की 1.2650 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 167 / 150 के कुल खसरे 26 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 2 के 4287 / 17710 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 4 के 1777 / 3795 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 166 / 149 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 2 का 1 / 3 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 4 का 1 / 3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:45:02 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई व दादालाई भूमि से अर्जित भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त संयुक्त परिवार की भूमि का पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 1 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 24/22 के कुल खसरे 28 की कुल तादादी 6.3250 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के साथ वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 1 जेएसएन के खाता संख्या 165/148 के कुल खसरे 6 की 1.2650 है0 भूमि में वादीगण 1 व 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 1 जेएसएन के खाता संख्या 167/150 के कुल खसरे 26 का कुल क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज 4287/17710 हिस्सा भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है व प्रतिवादीया संख्या 4 के नाम दर्ज 1777/3795 हिस्सा भूमि में वादीगण संख्या 3 व 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा 1 जेएसएन के खाता संख्या 166/149 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 4 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 का बहिब हक हिस्सा है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 24/22 के कुल खसरे 28 की कुल तादादी [illegible] 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 [illegible] राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 165/148 के कुल खसरे 6 की 1.2650 [illegible] प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 167/150 के कुल खसरे 26 का [illegible] क्षेत्रफल 5.3130 है0 भूमि में से प्रतिवादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:45:02 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 2 के 4287/17710 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 4 के 1777/3795 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 166/149 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में से प्रतिवादीया संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 4 का 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 के खाता संख्या 24/22 के की कुल 6.3250 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के साथ वादीगण संख्या 1 ता 4 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1 जेएसएन के खाता संख्या 165/148 की कुल1.2650 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1 जेएसएन के खाता संख्या 167/150 की कुल 5.3130 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार किया जाता है व प्रतिवादीया संख्या 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 3 व 4 को ब0 हि0 ब0 का को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1 जेएसएन के खाता संख्या 166/149 के की कुल 2.7830 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के नाम भूमि यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 04/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:45:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –416 / 2023

अनवान : –

1. छोटुराम बिजारणियां पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील तहसील नोहर।
2. श्रवण कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. अनिल कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. चरण सिंह पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ओम प्रकाश पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. विमला देवी पत्नी ओम प्रकाश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. शिशपाल पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. गुडी देवी पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 416 सन 2023 निर्णय दिनांक 04/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 24/22 के की कुल 6.3250 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के साथ वादीगण संख्या 1 ता 4 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1 जेएसएन के खाता संख्या 165/148 की कुल1.2650 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1 जेएसएन के खाता संख्या 167/150 की कुल 5.3130 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 [illegible] को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार किया जाता है व प्रति[illegible] कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 3 व 4 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 1 जेएसएन के खाता संख्या 166/149 के की कुल 2.7830 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:45:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:45:02 IST
Reason: SelfAttested